फर्द अहकाम

गणेश बनाम राज० स० 2012

...य

141/2024

...नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.../06/2024	पत्रावली वकील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब की गई वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर जमाबंदी तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार जाकर अपील खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राज ... तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 141 / 2024
निर्णय दिनांक : 06.06.2024

1. गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव
2. लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव
3. गीता देवी पत्नि स्व. श्री रमेश यादव, जाति–यादव अहिर समस्त निवासी–सीमल्यावास वाटिका, कुम्हारियावास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सीमल्यावास वाटिका, कुम्हारियावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर, राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी ने ग्राम–वाटिका, पटवार हल्का–वाटिका, भू०अभि०नि० क्षेत्र–वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 942 के खसरा नम्बर–6143 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर–6144 रकबा 0.6700 है०, खसरा नम्बर–6196 रकबा 1.0600 है० में हिस्सा 1/18 में स्थित है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगणों का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम– गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव, लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव, गीता देवी पत्नि स्व. श्री रमेश यादव अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगणों के पिता का सही नाम रामेश्वर उर्फ रमेश यादव है। प्रार्थीगण के पिता स्व. रामेश्वर उर्फ रमेश यादव का देहान्त–26.02.2021 को हो गया है तथा रामेश्वर उर्फ रमेश यादव का देहान्त होने के उपरान्त प्रार्थीगणों ने नामान्तकरण के हक व हिस्से में नामान्तरण खोला गया है जिससें कि प्रार्थीगणों के हक व हिस्से की भूमि में पिता का रमेश अंकित हो गया। प्रार्थीगणों को बैंक से लोन लेने में व अन्य सरकारी कार्यों में परेशानी न हो इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम रमेश के स्थान पर रामेश्वर उर्फ रमेश यादव अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगणों के पिता नाम रमेश के स्थान पर रामेश्वर उर्फ रमेश यादव अंकित किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित प्रार्थीगणों के गलत नाम गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव, लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव, गीता देवी पत्नि स्व. श्री रमेश यादव को दुरूस्त करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही नाम गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव, लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव, गीता देवी पत्नि स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव अंकित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीगणों की ग्राम–वाटिका, पटवार हल्का–वाटिका, भू०अभि०नि० क्षेत्र–वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 942 के खसरा नम्बर–6143 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर–6144 रकबा 0.6700 है०, खसरा नम्बर–6196 रकबा 1.0600 है० में प्रार्थी संख्या 1 गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव के स्थान पर सही नाम गणेश यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव, प्रार्थी संख्या 2 लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर यादव के स्थान पर सही नाम लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव तथा गीता देवी पत्नि स्व. श्री रमेश यादव के स्थान पर सही नाम गीता देवी पत्नि स्व. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश यादव दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested